

लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2019 हेतु अधिकारी/कर्मचारी की सूचना का प्रपत्र
(प्रपत्र भरने से पूर्व दिये गये निर्देशों को भलिभांति पढ़ लें)

विभागीय – सूचना प्रपत्र (प्रारूप – 1)

1	विभाग का नाम :				
2	कार्यालय/स्कूल/कालेज का नाम :				
3	पूर्ण पता :				
कार्यालयाध्यक्ष का विवरण					
4	नाम :				
5	पदनाम :				
6	दूरभाष संख्या : STD CODE	कार्यालय :	आवास :	मोबाईल :	
कार्यालयाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सम्पर्क करने हेतु अधिकारी/कर्मचारी का विवरण					
7	नाम				
8	पदनाम :				
9	दूरभाष संख्या : STD CODE	कार्यालय :	आवास :	मोबाईल :	
10	कार्यालय में कार्यरत कुल अधिकारियों की संख्या				
11	कार्यालय में कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या				
12	योग (10 + 11)	0			

संलग्न : प्रारूप-2

दिनांक :

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर मुहर सहित

निर्देश –

- प्रपत्र 1 व 2 को कम्प्यूटर पर एक्सेल में भरकर सी0डी0 पर तथा उसका प्रिन्ट लीगल साईज पेपर पर निकालकर हस्ताक्षर सहित उपलब्ध करायें।
- प्रपत्र पूर्ण रूप से एवं अत्यन्त सावधानी से भरें। प्रिन्ट किये गये प्रपत्र पर कटिंग, ओवर राईटिंग व फ्लूड का प्रयोग बिल्कुल न करें। अपूर्ण भरे प्रपत्र को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- कार्यालयाध्यक्ष यह भी सुनिश्चित कर लें कि उनके अधीन कार्यरत किसी भी अधिकारी/कर्मचारी का नाम दूसरे कार्यालय द्वारा न भेजा गया हो। प्रायः यह देखा गया है कि शिक्षा विभाग द्वारा एक ही शिक्षक का नाम दो विकास खण्डों अथवा दो अलग-अलग स्कूल द्वारा भेज दिया जाता है। इसी प्रकार विकास खण्ड कार्यालयों में तैनात कर्मचारियों का नाम उनके मूल विभाग द्वारा एवं विकास खण्ड कार्यालय द्वारा भी भेज दिया जाता है। जिससे उक्त कर्मचारी की नियुक्ति दो बार हो जाती है।
- कर्मचारियों की सूची में कोई गलती होने अथवा अपूर्ण व असत्य सूचना भेजने पर कार्यालयाध्यक्ष पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- प्रपत्र की सॉफ्टकापी (एक्सेल में) www.ceo.uk.gov.in वेबसाइट से भी डाऊनलोड की जा सकती है।